

डाक-व्यय की पूर्व भदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 अगस्त 2001—श्रावण 15, शक 1923

परिवहन विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2001

अधिसूचना

क्रमांक 475/परि.वि./2001.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 65 के साथ पठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में—

(1) नियम 55 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

55-क पंजीयन चिन्ह का आवंटन :

(1) रजिस्ट्रिकरण प्राधिकारी रजिस्ट्रिकरण चिन्ह के आरक्षण के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित में आवेदनपत्र प्राप्त होने पर रजिस्ट्रिक प्राधिकारी निम्नलिखित रीति से रजिस्ट्रिकरण चिन्ह आरक्षित करेगा :—

(क) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर चालू किसी भी मिरोज में 01 से 09 तक के रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के आरंभ के लिए प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण बिन्दु के लिए भुगतान करने पर आश्रित किये जाएंगे।

- (ख) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर चालू किसी भी सिरिज में 10 से 100 तक के रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के आरक्षण हेतु रुपये 12,000/- (रुपये बारह हजार) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के लिए भुगतान करने पर आरक्षित किए जाएंगे।
- (ग) रजिस्ट्रीकरण चिन्ह क्रमांक 101 से 9999 तक निम्नलिखित प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण चिन्हों के आरक्षण हेतु रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) भुगतान करने पर आरक्षित किया जायेगा. 101, 111, 123, 200, 202, 222, 234, 300, 303, 333, 345, 400, 444, 456, 500, 505, 555, 567, 600, 606, 666, 678, 700, 707, 777, 786, 789, 800, 808, 888, 900, 909, 1000, 1001, 1010, 1011, 1111, 1112, 1212, 1213, 1221, 1234, 1313, 1314, 1331, 1414, 1415, 1441, 1515, 1516, 1551, 1616, 1617, 1661, 1717, 1718, 1771, 1818, 1819, 1881, 1919, 1929, 1999, 2000, 2002, 2020, 2021, 2112, 2121, 2122, 2222, 2223, 2323, 2324, 2332, 2345, 2424, 2425, 2442, 2525, 2526, 2552, 2626, 2627, 2662, 2727, 2728, 2772, 2828, 2829, 2882, 2929, 2930, 2992, 3000, 3003, 3030, 3113, 3131, 3132, 3223, 3232, 3233, 3333, 3334, 3434, 3435, 3443, 3456, 3535, 3536, 3553, 3636, 3637, 3663, 3737, 3738, 3773, 3838, 3839, 3883, 3939, 3940, 3993, 4000, 4004, 4040, 4041, 4114, 4141, 4142, 4224, 4242, 4243, 4334, 4343, 4344, 4444, 4445, 4545, 4546, 4554, 4567, 4646, 4647, 4664, 4747, 4748, 4774, 4848, 4849, 4884, 4949, 4950, 4994, 5000, 5005, 5050, 5051, 5115, 5151, 5152, 5225, 5252, 5253, 5335, 5353, 5354, 5445, 5454, 5455, 5555, 5556, 5657, 5665, 5678, 5757, 5758, 5775, 5858, 5859, 5885, 5959, 5960, 5995, 6000, 6006, 6060, 6061, 6116, 6161, 6162, 6263, 6226, 6262, 6336, 6363, 6364, 6446, 6464, 6465, 6556, 6565, 6666, 6667, 6767, 6768, 6776, 6789, 6868, 6869, 6886, 6969, 6970, 6996, 7000, 7007, 7070, 7071, 7117, 7171, 7172, 7227, 7272, 7273, 7337, 7373, 7374, 7447, 7474, 7475, 7557, 7575, 7576, 7667, 7676, 7677, 7777, 7778, 7878, 7887, 7979, 7980, 7997, 8000, 8008, 8080, 8081, 8182, 8228, 8282, 8283, 8338, 8383, 8384, 8448, 8484, 8558, 8585, 8586, 8668, 8686, 8687, 8778, 8787, 8788, 8888, 8889, 8989, 8998, 9000, 9009, 9090, 9091, 9119, 9191, 9192, 9229, 9292, 9293, 9339, 9393, 9394, 9449, 9494, 9495, 9559, 9595, 9596, 9669, 9696, 9697, 9779, 9797, 9798, 9889, 9898, 9899, 9999.
- (घ) ऐसी किसी संख्या के आरक्षण हेतु जो इस उप-नियम के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) में विनिर्दिष्ट नहीं है, आरक्षण के लिये अनुक्रमांक के क्रम में अन्त में समनुदेशित संख्या से एक हजार संख्याओं के भीतर प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिये रुपये 2,000 फीस का भुगतान करने पर आरक्षित किए जाएंगे."
- (2) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति के आवेदनपत्र पर किसी रजिस्ट्रीकरण संख्या को आरक्षित करते समय निम्नलिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगा :-
- (क) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी रजिस्ट्रीकरण संख्या का आरक्षण प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत के आधार पर करेगा.
- (ख) यदि किसी एक दिन में ऊपर यथा विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या के लिये एक से अधिक आवेदन हो तो रजिस्ट्रीकरण संख्या का आरक्षण फीस की रकम की भुगतान के संबंध में रसीद के अनुक्रमांक के अनुसार किया जाएगा.
- (ग) केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 47 के अधीन प्रारूप 20 में आवेदन के साथ यान को प्रस्तुत करने पर और मोटरयान अधिनियम 1988 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों का मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण के लिये पालन किए जाने पर आरक्षित रजिस्ट्रीकरण चिन्ह आवंटित किया जावेगा.
- (घ) यदि रजिस्ट्रीकरण चिन्ह के आरक्षण से तीन माह के भीतर रजिस्ट्रेशन नंबर के आवंटन के लिये यान को प्रस्तुत नहीं किया जाता तो आरक्षण चिन्ह का आरक्षण स्वयमेव निरस्त हो जायेगा.
- (ङ) रजिस्ट्रेशन चिन्ह के आरक्षण के लिए संदत्त की गई रकम वापस नहीं की जायेगी.

- (च) उपरोक्त खण्ड (घ) के अधीन निरस्त किया गया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा पुनः आरम्भित कर सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त, 2001

क्रमांक 477/परिवहन/2001.— भारत के संविधान अनुच्छेद के 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्या दिनांक 6 अगस्त, 2001 को अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. डी. कावरे, अवर सचिव.

Raipur, the 6th August 2001

NOTIFICATION

No. 475/Tr.D/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 211 read with Section 65 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

- (1) After rule 55, the following rule shall be inserted, namely :—

"55-A. Allotment of registration mark :

- (1) On receipt of an application made in writing by any person to the registering authority for reservation of registration mark, the registering authority shall reserve the registration mark in the following manner :—

- (a) Registration mark from 01 to 09 in any series prevalent within the jurisdiction or registering authority, shall be reserved on payment of fee of Rs. 15,000 (Rupees Fifteen thousand) for each registration mark.
- (b) For reservation of registration mark from number 10 to 100 in any series prevalent within the jurisdiction of the registering authority, on payment of fee of Rs. 12,000 (Rupees Twelve thousand) for each registration mark.

- (c) For reservation of registration mark number 101, 111, 123, 200, 202, 222, 234, 300, 303, 333, 345, 400, 404, 444, 456, 500, 505, 555, 567, 600, 606, 666, 678, 700, 707, 777, 786, 789, 800, 808, 888, 900, 909, 999, 1000, 1001, 1010, 1011, 1111, 1112, 1212, 1213, 1221, 1234, 1313, 1314, 1331, 1414, 1415, 1441, 1515, 1516, 1551, 1616, 1617, 1661, 1717, 1718, 1771, 1818, 1819, 1881, 1919, 1929, 1999, 2000, 2002, 2020, 2021, 2112, 2121, 2122, 2222, 2223, 2323, 2324, 2332, 2345, 2424, 2425, 2442, 2525, 2526, 2552, 2626, 2627, 2662, 2727, 2728, 2772, 2828, 2829, 2882, 2929, 2930, 2992, 3000, 3003, 3030, 3113, 3131, 3132, 3223, 3232, 3233, 3333,

3334, 3434, 3435, 3443, 3456, 3535, 3536, 3553, 3636, 3637, 3663, 3737, 3738, 3773, 3838, 3839, 3883, 3939, 394
 3993, 4000, 4004, 4040, 4041, 4114, 4141, 4142, 4224, 4242, 4243, 4334, 4343, 4344, 4444, 4445, 4545, 4546, 455
 4567, 4646, 4647, 4664, 4747, 4748, 4774, 4848, 4849, 4884, 4949, 4950, 4994, 5000, 5005, 5050, 5051, 5115, 515
 5152, 5225, 5252, 5253, 5335, 5353, 5354, 5445, 5454, 5455, 5555, 5556, 5656, 5657, 5665, 5678, 5757, 5758, 577
 5858, 5859, 5885, 5959, 5960, 5995, 6000, 6006, 6060, 6061, 6116, 6161, 6162, 6226, 6262, 6263, 6336, 6363, 636
 6446, 6464, 6465, 6556, 6565, 6666, 6667, 6767, 6768, 6776, 6789, 6868, 6869, 6886, 6969, 6970, 6996, 7000, 700
 7070, 7071, 7117, 7171, 7172, 7227, 7272, 7273, 7337, 7373, 7374, 7447, 7474, 7475, 7557, 7575, 7576, 7667, 767
 7677, 7777, 7778, 7878, 7887, 7979, 7980, 7997, 8000, 8008, 8080, 8081, 8182, 8228, 8282, 8283, 8338, 8383, 838
 8448, 8484, 8558, 8585, 8586, 8668, 8686, 8687, 8778, 8787, 8788, 8888, 8889, 8989, 8998, 9000, 9009, 9090, 90
 9119, 9191, 9192, 9229, 9292, 9293, 9339, 9393, 9394, 9449, 9494, 9495, 9559, 9595, 9596, 9669, 9696, 9697, 97
 9797, 9798, 9889, 9898, 9899, 9999 on payment of fees of Rs. 10,000 (Rupees Ten thousand) for each registrati
 mark.

- (d) For reservation of any other number not specified in sub-clause (a), (b) and (c) of this sub-rule within thousand numbers from the last number assigned in serial order on payment of fee of Rs. 2,000 (Rupees Two thousand) each registration mark.
- (2) The registering authority While reserving the registration mark on the application of any person shall strictly adhere the following guidelines :—
- The registering authority shall reserve the registration mark on the basis of first come first served principle.
 - If there is more than one application on an day for particular registration mark as specified above, the registration of registration mark shall be done in accordance with the serial number on the cash receipt regarding payment of the amount of fee.
 - The registration mark reserved shall be allotted on production of the Vehicle alongwith the application in Force 20 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 and when the vehicle is found complying with the provisions of Motor Vehicle Act, 1988 and the rules made thereunder for registration of a Motor Vehicle.
 - The reservation of registration mark shall stand automatically cancelled if the vehicle is not produced allotment of registration number within three months from the date of reservation of registration mark.
 - The amount of fee paid for reservation of registration mark shall not be refundable.
 - The registration mark cancelled under clause (d) can be re-reserved by the registering authority in accordance with the above procedure.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
 A. K. VIJAYAVARGIYA, Principal Secretary